



# देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर

विश्वविद्यालय-भवन

इन्दौर-452001

क.सं.वि.क./रैगिंग रोकथाम समिति/2024-25/54

दिनांक:- 31 MAY 2024


// अधिसूचना //

आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश शासन, भोपाल से प्राप्त पत्र क्रमांक 402/264/83/आउशि/शाखा -5 'अ'/2014 भोपाल, दिनांक 27 मई 2015 के अनुपालन में एवं प्रति वर्षानुसार रैगिंग पर अंकुश लगाने हेतु निम्नानुसार विश्वविद्यालय स्तरीय एन्टी रैगिंग समिति का गठन किया जाता है -

- |    |  |   |        |
|----|--|---|--------|
| 1/ | डॉ. राजीव दीक्षित,<br>निदेशक महाविद्यालय विकास परिषद्, दे.अ.वि.वि., इन्दौर | - | सदस्य  |
| 2/ | डॉ. संगीता मेहता,<br>शा. कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, इन्दौर               | - | सदस्य  |
| 3/ | डॉ. कन्हैया आहुजा,<br>अर्थशास्त्र अध्ययनशाला, दे.अ.वि.वि., इन्दौर          | - | सदस्य  |
| 4/ | सुश्री रचना ठाकुर, उ.कु.स., प्रशासन विभाग, दे.अ.वि.वि.इन्दौर               | - | सदस्य  |
| 5/ | डॉ. लक्ष्मीकांत त्रिपाठी, अधिष्ठाता, छात्र कल्याण, दे.अ.वि.वि., इन्दौर     | - | संयोजक |

नोट :- उक्त अधिसूचना को सूचना पटल पर चस्पा कर समस्त छात्र/छात्राओं को सूचित करें।

आदेशानुसार

  
कुलसचिव,

दिनांक :- 31 MAY 2024

पृष्ठा. क.सं.वि.क./रैगिंग रोकथाम समिति/2024-25/54  
प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन, सतपूडा भवन, भोपाल म.प्र.।
2. अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा विभाग, इन्दौर संभाग, मोती तबेला, इन्दौर।
3. उक्त समस्त संबंधित सम्माननीय सदस्यों की ओर सूचनार्थ।
4. कुलपतिजी के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक, दे.अ.वि.वि., इन्दौर की ओर सूचनार्थ।
5. प्राचार्य/निदेशक/संचालक वि.वि. से संबद्ध समस्त महाविद्यालय/विभागाध्यक्ष, समस्त अध्ययनशालाएँ, दे.अ.वि.वि. इन्दौर।
6. आई.टी. सेन्टर, वि.वि. की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रस्तुत।